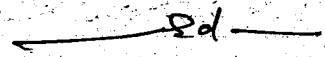


राजस्थान सरकार
निदेशालय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, सेवायें, राजस्थान, जयपुर।
क्रमांक:ई/सामान्य/राजपत्रित/2024/ दिनांक :

—:कार्यालय आदेश:—

निर्देशानुसार राजकीय सेवा से लम्बे समय से अनुपस्थित चल रहे चिकित्सकों के विरुद्ध राजस्थान सेवा नियम के अन्तर्गत की जा रही कार्यवाही की निदेशालय स्तर से नियमित रूप से मॉनिटरिंग व सुपरविजन हेतु अद्योहस्ताक्षरकर्ता की अक्षता में निम्न प्रकार से कमेटी का गठन किया जाता है:—

1. डा0 रामबाबू जायसवाल, स्टेट नोडल अधिकारी (निरोगी राजस्थान), मुख्यालय
2. डा0 जीनेश सैनी, राजपत्रित अनुभाग, सदस्य सचिव
3. श्री जे.पी. शर्मा, अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी, राजपत्रित अनुभाग
4. श्री कैलाशचंद मीणा, अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी, राजपत्रित अनुभाग
5. श्री दीपक श्रीवास्तव, अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी, राजपत्रित अनुभाग

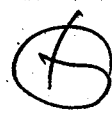

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक:ई/सामान्य/राजपत्रित/2024/282

दिनांक : 31/05/2024

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, निदेशक (जन स्वास्थ्य), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर।
3. प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को आदेश की प्रति विभागीय बेवसाईट पर अपलोड वास्ते।
4. सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी को पालनार्थ।
5. रक्षित पत्रावली।


निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान, जयपुर।